छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 08.05.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आपात बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

सर्वश्री

1.	**प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन**, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	**श्री आई०सी० द्विवेदी**, (से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल खण्ड, विजया बैक के पास, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	**प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल**, अधिष्ठाता, एडवांस स्टडीज आफ सोशल साइंसेज	सदस्य
4.	**प्रो0 आर0सी0 कटियार**, आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
5.	**प्रो0 नन्दलाल**, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
6.	**प्रो0 मृदुला भदौरिया**, आचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	**डॉ0 मुनेश कुमार**, उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	**डा0 अन्शू यादव**, उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
9.	**श्रीमती सन्ध्या मोहन**, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
10.	**श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव**, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं०–1: कार्य परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक 07.05.2015 के अनुमोदन पर विचार

कार्य परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की दिनांक 07.05.2015 द्वारा कुल 93 महाविद्यालयों मे से 86 महाविद्यालयों को प्रदान की गयी सम्बद्धता की पूर्वानुमति एवं 07 महाविद्यालयों को की गयी असंस्तुति पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।</u>

1. **रघुराजा राम गोपाल महाविद्यालय, सेमरी, रायबरेली द्वारा कपटपूर्ण तरीके से सत्र 2014–15 से प्राप्त सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार।**

कार्य परिषद प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों से अवगत हुयी, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में विशेष जांच कराने एवं उससे स्पष्ट हुये तथ्यों– मानकानुसार भवन व अन्य अवस्थापना सुविधायें न होना, प्रथम निरीक्षक मण्डल के तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/आख्या तथा महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से प्राप्त आख्या/रिपोर्ट के दृष्टिगत कपटपूर्ण तरीके से सम्बद्धता प्राप्त करने की पुष्टि होने के कारण, कार्य परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम

क्रमशः पृष्ठ......2

1973 (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन), उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14, सन–2014 की धारा 37 (2), 37 (8) के अन्तर्गत सर्वसम्मति से सम्बद्धता वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में माननीय कुलपति जी द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति/अध्यक्ष